भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4250
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: अमरूद की खेती

4250. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान के टोंक जिले के देवड़ावास में अमरूद के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किया गया है;

(ख) क्या टोंक जिले के किसानों ने उक्त योजना के अंतर्गत अमरूद की खेती को अपनाया है;

(ग) यदि हाँ, तो अब तक वितरित किए गए पौधों की संख्या, प्रदान की गई तकनीकी सहायता की प्रकृति और अमरूद की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बुनियादी ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त उत्कृष्टता केंद्र के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार भविष्य में संबंधित जिलों की फसल प्रणाली और बागवानी क्षमता के अनुसार अन्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत, उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किए जाते हैं, जिसमें विशिष्ट सहयोग समझौतों के तहत इजरायल/नीदरलैंड/न्यूजीलैंड की तकनीकी सहायता और भारतीय अनुसंधान संस्थानों की सहायता शामिल है। ये केंद्र, राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना के अंतर्गत, राजस्थान के टोंक जिले के देवड़ावास में अमरूद के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) से प्राप्त फंड से टोंक जिले के देवड़ावास में अमरूद के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किया गया है।

(ख): जी हां, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि किसानों को भारत सरकार की योजना "एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)" के मानदंडों के अनुसार सहायता दी गई है।

(ग): अब तक, किसानों को लगभग 82,000 अमरूद के पौधे वितरित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों को अमरूद की खेती के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अब तक, देवड़ावास केंद्र में 3249 किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(घ): यह केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत आवंटित फंड का उपयोग करके स्थापित किया गया है और अब तक राज्य सरकार द्वारा 934.29 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें से 874.82 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है।

(ड.): एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत, राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के अनुसार प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, देश में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती है। राज्य, अपनी आवश्यकताओं, क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक कार्य योजना तैयार करते हैं। राज्यों द्वारा उत्कृष्टता केंद्रों की पहचान की जाती है और उसके बाद परियोजना प्रस्तावों की राज्य सरकार (एसएलईसी) और तकनीकी समकक्ष द्वारा विधिवत जाँच और अनुशंसा कर, इस मंत्रालय को विचार और अनुमोदन हेतु भेजा जाता है।

*****